



77

समक्ष माननीय, अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

रानी-3798/2018/भोपाल/भू.र.

प्र.क्र. निगरानी- /पीबीआर/2018 भोपाल

182

1. विजय कुमार गुप्ता आ0 श्री रामबाबू गुप्ता
2. हेमा गुप्ता पत्नी श्री विजय कुमार गुप्ता
निवासीगण बी-3 बाल्मी केम्पस नियर कलियासोत डेम
कोलार रोड तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0
3. शिवनारायण यादव आ0 श्री रामप्रसाद यादव
4. श्रीमती इन्दू यादव पत्नी श्री शिवनारायण यादव
निवासीगण एच-17 बाल्मी केम्पस नियर
कलियासोत डेम कोलार रोड तहसील हुजूर
जिला भोपाल

....आवेदकगण

विरुद्ध

1. सुरेश चौकसे आ0 श्री पन्नालाल चौकसे
निवासी ग्राम बावडिया कला तहसील हुजूर जिला भोपाल
2. श्रीमती कमला बैरागी पत्नी श्री रमेश बैरागी
3. रमेश बैरागी आ0 श्री कन्हैयालाल बैरागी
निवासीगण एच-18 बाल्मी केम्पस नियर कलियासोत
डेम कोलार रोड तहसील हुजूर जिला भोपाल
4. रामभजन बर्मा आ0 श्री छकोडीलाल बर्मा
निवासी 18/13 साउथ टी0टी0 नगर
तहसील हुजूर जिला भोपाल
5. श्रीमती प्रतीक्षा सोनी पत्नी श्री योगेन्द्र सोनी
6. योगेन्द्र सोनी आ0 श्री केशो सोनी
निवासीगण टाईप-2/31 सी0पी0डब्ल्यू डी कालोनी
भरत नगर तहसील हुजूर जिला भोपाल
7. श्रीमती पुष्पा तिवारी पत्नी श्री रामश्रय तिवारी
निवासी आई-4 बरकत्ताउल्ला विश्वविद्यालय परिसर
भोपाल म0प्र0
8. रचना शुक्ला पत्नी तरुण शुक्ला
निवासी 148 मालवीय नगर भोपाल

....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान कलेक्टर महोदय जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 09/पुर्नविलोकन /2017-18 में पारित आदेश दिनांक 05/03/18 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।



:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण ने ग्राम बावडिया कला तहसील हजर जिला भोपाल स्थित भूमि का...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/18/3798

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-11-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता प्रेमसिंह उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है । आवेदकपक्ष दिनांक 24-12-2018 को आयुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों ।</p> <p> 2/31</p>	<p> अध्यक्ष</p>